

## अनुमति की शर्तें ।

- (i) जल भवन / मुख्यण्ड के निर्माण की स्वीकृति स्वामित्व शिद्द नहीं करती है ।
- (ii) किसी भी प्रकार का विवाद (न्यायिक, राजकीय, व्यक्तिगत या अन्य) होने की स्थिति में निगम का कोई ज़ाबतदारियत नहीं होगा तथा न ही निगम किसी प्रतिशुद्धि के लिए ज़ाबतदारियत होगा ।
- (iii) भवन निर्माण कार्य आरम्भ करते ही आवेदक निगम को सूचित करेगा ।
- (iv) स्वीकृत नक्शों के विपरीत निर्माण पाये जाने पर स्वीकृत निरस्त की जा सकती है ।

एकल श्रेणी केवल आवासीय भूखोजनार्थी

कार्यालय नगर निगम, जोधपुर

आवेदन क्रमांक 865 दिनांक 25/11/2021

प्रार्थी श्री इम्तियाज अली हाजी मुबारक

ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009

धारा 194 (7) (घ) के तहत आवेदन

भवन निर्माण हेतु मानचित्र कार्यालय ने पेश

कर स्वनिर्धारण राशि रुपये 7500/- जमा

जसिये रसीद संख्या 9089/618-619

दिनांक 25/11/2021 को जमा करा दी है ।

दिनांक 29/11/2021

सहायक नगर नियोजक  
नगर निगम, जोधपुर

Wazir Jahan

3462543649

पी + 1

आवासीय

र. 2005-138/226 कम्पसा नैठ

नगर सूचना विस्तार सेक्टर - 11